राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj1@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Misc/Direction/2022/ दिनांक

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय : महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 से 15 फरवरी 2024 की कार्ययोजना के संबंध में।

संदर्भ : CCE/ISDC/Misc./Direction/2022/293; दिनांक 06.01.2024

लेख है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में विधिय, वित्तीय, महिला स्वास्थ्य एवं आत्मरक्षा से संबंधित जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक करवाया जाना है जिसकी अनुपालना प्रेषित प्रारूप के अनुसार करवाई जानी सुनिश्चित करें।

"छात्रा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम"

कार्ययोजना प्रारूप

क्र. सं.	विषय एवं समेकित बिन्दु	संदर्भ व्यक्ति	प्रशिक्षण तकनीक
1.	**महिलाओं के लिए विधिय अधिकार** I. भारत के संविधान में महिला सुरक्षा एवं अधिकार संबंधी मुद्दे II. भारतीय न्याय संहिता में महिला अधिकारिता संबंधी प्रावधान IPC एवं CRPC के नवीन संशोधन III. प्रमुख कानून ➢ घरेलु हिंसा कानून ➢ मानव तस्करी विरोधी कानून ➢ पोक्सो कानून ➢ दहेज निषेध अधिनियम ➢ कार्यस्थल पर यौन शोषण प्रतिषेध अधिनियम ➢ महिला प्रताड़ना रोकने संबंधी अधिनियम	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन/समाजशास्त्र के संकाय सदस्य, एडवोकेट/Law Faculty अथवा महिला संरक्षण हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, संबंधित NGO या स्वैच्छिक संस्था	व्याख्यान, खुला संवाद, प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तरी
2.	**महिला स्वास्थ्य** i. सेहतमंद आधी आबादी : आवश्यकता एवं अनिवार्यता ii. स्वच्छता के नियम iii. हार्मोनल असंतुलन (PCoD) कारण और निवारण	महिला चिकित्सक, गृह विज्ञान विषय के संकाय सदस्य, महाविद्यालय में NCC/NSS/Rover/Ranger महिला [illegible] सदस्य [illegible] NGO या स्वैच्छिक संस्था	व्याख्यान, खुला संवाद, प्रतिभागियों से [illegible], योग और [illegible] का प्रशिक्षण

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.01.16 1[illegible]:24:12 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 5352679

	iv. स्वास्थवर्धक जीवनशैली के उपाय v. महिला स्वास्थ्य हेतु योग एवं प्राणायाम की महत्ता		
3.	**<u>महिला आत्म रक्षा</u>** i. घर, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वयं सुरक्षा की चुनौतियां एवं सुरक्षा के उपाय ii. आत्मरक्षा की सरल तकनीकें iii. साइबर अपराधों से बचाव के उपाय	आत्म रक्षा के प्रशिक्षण संबंधित व्यक्ति निर्भया स्काव्यड/महिला पुलिसकर्मी शारीरिक शिक्षक, साइबर कानून के विशेषज्ञ, महाविद्यालय में NCC/NSS/Rover/Ranger महिला संकाय सदस्य, संबंधित NGO या स्वैच्छिक संस्था	व्याख्यान, खुला संवाद, प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तरी, आत्मरक्षा तकनीकों का प्रायोगिक अभ्यास
4.	**<u>वित्तीय जागरूकता</u>** i. आर्थिक आत्मनिर्भरता की बुनियादी आवश्यकता ii. स्वयं सहायता समूह : स्वावलम्बन का आधार (Creation and working of SHG Group) iii. महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप iv. वित्तीय ऋण प्राप्ति एवं बचत की जानकारी v. बैंक/ई–बैंकिंग/UPI से संबंधित सभी जानकारियां तथा सुरक्षा उपाय	अर्थशास्त्र, वाणिज्य विषय के संकाय सदस्य, बैंक अधिकारी, SHG समूह के प्रतिनिधि, महिला उद्यमी, संबंधित NGO या स्वैच्छिक संस्था	व्याख्यान, खुला संवाद, प्रतिभागियों से प्रश्नोत्तरी

इस हेतु प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि –

- महाविद्यालय में गठित महिला प्रकोष्ठ समिति द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस महाविद्यालय में समिति गठित नहीं है वहां प्राचार्य महिला समिति का गठन करें।
- जिन महाविद्यालयों में महिला संकाय सदस्य नहीं हैं वे अपने DRAC नोडल महाविद्यालय से संपर्क कर निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों से महिला संकाय सदस्य की मांग कर इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएं या प्राचार्य अपने स्तर पर छात्राओं हेतु स्थानीय महिला प्रशासनिक, पुलिस या चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करावें।
- जिन महाविद्यालयों में महिला संकाय सदस्य नहीं हैं वे महाविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक महिला कर्मचारी से भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सहायता ले सकते है।
- समस्त गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
- किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयी समय के दौरान ही करवाया जायेगा ताकि अधिकतम छात्राएं इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके।
- इस कार्यक्रम का समस्त व्यय विकास समिति या छात्रनिधि कोष से किया जाए। जिसकी अनुमति प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम की समस्त सूचनाऐं गूगल ड्राइव में Training Program for GC नाम से फोल्डर बनाकर उसका लिंक आयुक्तालय द्वारा जारी स्प्रेडशीट Academy 2023-24 में भरकर भिजवाना सुनिश्चित करें। (स्प्रेडशीट GC Principals व्हाट्सएप्प ग्रुप में प्रेषित कर दी जायेगी।)

RajKaj Ref 5352679

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.01.16 1[illegible]:24:12 IST
Reason: Approved

- **महाविद्यालयों द्वारा गूगल लिंक को अनिवार्य रूप से Accessible किया जाए ताकि कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।**
- महाविद्यालयों में यदि पूर्व में महिला नीति के तहत भी यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा चुका है तो पुनः इस कार्ययोजना के प्रारूप अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु निम्न अधिकारी से संपर्क कर सकते है–

प्रो. ललिता यादव प्रभारी अधिकारी, ISDC 8209852519

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/Misc/Direction/2022/ दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव,आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. वेब प्रभारी,आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5352679

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.01.16 1?:24:12 IST
Reason: Approved